सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 115/2019 — अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लुम्बाराम पुत्र अमराराम 2. मीरादेवी पत्नी लुम्बाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. हेमाराम पुत्र मानाराम 2. नारणाराम पुत्र मानाराम 3. गिरधारीराम पुत्र मानाराम 4. पारूदेवी पत्नी मानाराम फौत शीर्षक से हटाया गया। जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 6. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादीगण — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 14.08.2024

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 4 के फौत होने पर उनके विधिक वारिशान रेकर्ड पर होने से उनका खातेदारी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 में समाहित किया गया।तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजबेरा के ग्राम हनुमानपुरा के खेत खसरा नम्बर 850 रकबा 22.6785 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है —

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	लुम्बाराम पुत्र अमराराम 1/2 मीरादेवी पत्नी लुम्बाराम 1/2 कौम जाट, सा. देह खातेदार	हनुमानपुरा	850	15.1190	बा.अ.	—	लाल
2	हेमाराम 1/3 नारणाराम 1/3 गिरधारीराम 1/3 पि0 मानाराम कौम जाट, सा. देह खातेदार रहन हेमाराम का हिस्सा पीएनबी उण्डू	हनुमानपुरा	850	7.5595	बा.अ.	—	हरा

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner